Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER,PURNEA

[L.D. Appeal Case No.-212/2023]

Krishna Dev Rishi & Ors.....Appellants.

Versus

The State of Bihar& Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.4.2026	**आदेश** यह अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका सं.-13906/2015 में दिनांक-25.8.2023 को पारित आदेश के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मनिहारीद्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-96/2012-13 में दिनांक-14.2.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCRप्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता/सिकमी खाता	खेसरा	रकवा
मनिहारी	हंसवर/269	233/63	89	1.74 एकड़
			91	4.02 एकड़

दिनांक 08.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष द्वाराWritten Note of Argument दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन ब्रह्मनारायण सिंह के नाम से खतियान में दर्ज है। वर्ष 1973-74 में सीलिंग वाद सं.-01/73-74 में प्रश्नगत जमीन Ceiling Surplus land के रूप में अधिसूचित हुई। जिसके उपरान्त उनके एवं अन्य के नाम उक्त जमीन की बंदोबस्ती की गई। उनका कहना है कि विपक्षी के स्तर से अपर समाहर्त्ता, कटिहार के न्यायालय में विविध वाद सं.-144/84-85 दायर किया गया, जिसके माध्यम से उनलोगों के नाम से निर्गत लाल कार्ड को निरस्त कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि अपर समाहर्त्ता, कटिहार के द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में उनके द्वारा पुनः अपर समाहर्त्ता, कटिहार के न्यायालय में विविध वाद सं.-656/97-98 दायर किया गया, जिसे अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा दिनांक-08.8.2009 को अस्वीकृत कर दिया गया। उनका यह कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनको वर्ष-1976-77 में लालकार्ड के माध्यम से बंदोबस्त किया गया। तथा यह कि उक्त जमीन पर उनलोगों का लगातार दखल-कब्जा रहा है। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रश्नगत जमीन के खतियान में विपक्षी के पिता बनेश्वर मंडल का नाम गलत तरीके से सिकमीदार के रूप में दर्ज हो गया है, क्योंकि विपक्षी के पिता खुद ही एक बड़े जमींदार हैं। उनके ओर से निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश एवं अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा विविध सीलिंग वाद सं.-656/1997-98 में पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन के सिकमी रैयत उनके पिता बनेश्वर मंडल थे। कालान्तर में उक्त जमीन Ceiling Surplus land के रूप में अधिसूचित हुआ, जिसके उपरान्त सक्षम प्राधिकार के स्तर से उक्त सीलिंग अधिसूचित जमीन को Bihar Land Ceiling Act, 1961 की धारा 27 के आलोक में अपीलार्थीगण के नाम से लाल कार्ड के माध्यम से बंदोबस्त किया गया। परन्तु प्रश्नगत जमीन के सिकमी रैयत उनके पिता बनेश्वर मंडल थे, जिस कारण सीलिंग अधिसूचित जमीन पर पहला हक उनका था। उक्त के आलोक में उनके पिता के द्वारा अपर समाहर्त्ता (भू.ह.), कटिहार के न्यायालय में विविध वाद सं.-144/84-85 दायर किया गया, जिसमें अपीलार्थी के लाल कार्ड पर्चा को रद्द करते हुए उनके पिता के नाम से लाल कार्ड निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर उनका दखल है एवं जोत-आबाद किया जा रहा है, परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। विपक्षी की ओर से निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को संपुष्ट करते हुए इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

20.4.2026

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinderआदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन का खतियान ब्रह्म नारायण सिंह के नाम से दर्ज है। तथा यह कि खतियान में विपक्षी के पिता बनेश्वर मंडल का नाम सिकमीदार के रूप में अंकित है। कागजातों के आधार पर यह परिलक्षित हो रहा है कि प्रश्नगत जमीन का सीलिंग अधिसूचित होने के उपरान्त अपीलार्थी के नाम से लाल कार्ड बंदोबस्ती किया गया। जिसके उपरान्त विपक्षी के पिता द्वारा अपर समाहर्त्ता (भू.ह.), कटिहार के न्यायालय में विविध वाद सं.-144/84-85 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-31.7.1985 को अपीलार्थी के नाम से निर्गत लाल कार्ड को रद्द करते हुए विपक्षी के पिता के नाम से लाल कार्ड निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। कागजातों के अवलोकन से यह भी परिलक्षित हो रहा है कि अपीलार्थी के स्तर से अपर समाहर्त्ता (भू.ह.), कटिहार के न्यायालय में पुनः विविध सीलिंग वाद सं.-656/1997-98 दायर किया गया, जिसे दिनांक-08.8.2009 को अस्वीकृत कर दिया गया। कागजातों के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि आवेदक को प्राप्त लाल कार्ड को अपर समाहर्त्ता (भू.ह.), कटिहार द्वारा विविध वाद सं. -144/84-85 द्वारा रद्द कर दिया गया था। जिसके आलोक में अपीलार्थी के स्तर से अनुवर्ती राजस्व न्यायालय में अपील/विविध वाद दायर किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अपीलार्थी द्वारा BLDR Act, 2009 के अंतर्गत वाद दायर कर दिया गया। जिससे अपीलार्थी के मामले का निस्तार संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः तदनुसार अपीलार्थी को अपने लाल कार्ड पर्चा रद्द होने के संबंध में सक्षम न्यायालय में अपील वाद दायर करने का सुझाव दिया जाता है। समाहर्त्ता, कटिहार को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत मामले में अपने स्तर से अपील वाद दायर कराते हुए उभय पक्ष को विधिवत सुनकर सभी वांछित कागजात/राजस्व भू-अभिलेख के आवश्यक जांचोपरान्त सकारण आदेश से मामले का निस्तार 06 सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि इस भूमि विवाद का समयबद्ध रूप से यथोचित निराकरण हो सके। उपरोक्त आदेश की साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Rage K.
20/4/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
Rage K.
20/4/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।